दिनांक 21.04.2015 को रात्री में जिलान्तर्गत आये चक्रवाती तूफान के आलोक में दिनांक 22.04.2015 को आयोजित आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में बताया गया कि दिनांक 21.04.2015 को रात्री लगभग 10:00 बजे पूर्णियाँ जिला में आए चक्रवाती तुफान/वर्षा से जिलान्तर्गत, जान-माल की भारी क्षति हुई है। जिला पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने एवं नियमानुसार अनुमान्य सहायूय पीड़ित परिवारों को तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आपदा सहायूय के मापदण्डों से संबंधित **Government of India, Ministry of Home Affairs (Disaster Management Division)** के पत्र संख्या 32-7/2014- **NDM-I, Dated 08-04-2015** द्वारा निर्गत अद्यतन प्रावधान की प्रति सभी अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया।

बैठक में बताया गया कि जिलान्तर्गत उक्त चक्रवाती तूफान के कारण 32 मृत व्यक्तियों की पहचान की गई है तथा संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में आवश्यक जाँचोपरान्त मृतकों के आश्रित को नियमानुसार मो0 4,00,000/- (चार लाख) रूपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान (ex-gratia payment) की राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि संगत मद में राशि की अधियाचना अपर समाहर्त्ता को आज ही भेज दें। अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को अनुवर्त्ती कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि उक्त चक्रवाती तुफान में अगर किसी व्यक्ति का हाथ-पैर या आँखों की क्षति हुई है तो उन्हें भी नियमानुसार (40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक) विकलांगता होने पर 59,100/- (उनसठ हजार एक सौ) रूपये एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर 2,00,000/- (दो लाख) रूपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना है। यह भुगतान चिकित्सा पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र (Certification) के आधार पर किया जाएगा। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि तदनुसार अनुवर्त्ती कार्रवाई किया जाय।

बैठक में बताया गया कि उक्त चक्रवाती तूफान में कुछ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्त्ती हैं। इस संबंध में निदेश दिया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी से प्रमाण-पत्र (**Certification**) प्राप्त कर अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं तथा एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में चिकित्सा कराते हैं तो उन्हें नियमानुसार 12,700/- (बारह हजार सात सौ) रूपये भुगतेय होगा। तथा गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति के एक सप्ताह से कम अवधि तक अस्पताल में चिकित्सा की स्थिति में उन्हें 4,300/- रूपये की राशि भुगतेय होगा। बैठक में बताया गया कि जिलान्तर्गत पूर्णियाँ सदर अस्पताल में 19 व्यक्ति का ईलाज चल रहा है। सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि वे घायल व्यक्तियों से संबंधी संपूर्ण ब्यौरा दिनांक 22.04.2015 तक आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेंगे।

अपर समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह जानकारी दी गई है कि जिन प्रभावित व्यक्तियों का वस्त्र पूर्णतया नष्ट हो गया है, उन्हें 1800/- रूपये प्रति परिवार तथा जिन परिवारों का बर्तन वगैरह बर्बाद हो गया है उन प्रभावित परिवारों को 2,000/- रूपये की दर से भुगतान किया जाना है। तदनुसार आवश्यक जाँचोपरान्त नियमानुसार पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को अनुमान्य सहायय के भुगतान की कार्रवाई संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में तत्परतापूर्वक करने का निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि वैसे पीड़ित परिवार जिनका घर पूर्णतः उजड़ गया है उन्हें नियमानुसार तत्काल पोलिथीन सीट्स उचित पहचान एवं पावती पर उपलब्ध कराया जाना है ताकि प्रभावित परिवार धूप-वर्षा आदि से बच सके। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि अन्य जिलों यथा - पटना, सीतामढ़ी, सुपौल आदि से पोलिथीन सीट्स प्राप्त होने की सूचना है। तदनुसार संबंधित अंचल अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन शाखा में अधियाचना दे दें तथा संबंधित जिलों से पोलिथीन सीट्स प्राप्त होते ही जिम्मेवार पदाधिकारी के माध्यम से पोलिथीन सीट्स प्राप्त कर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपर समाहर्त्ता से समन्वय कर लें तथा अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में जिलास्तरीय निर्धारित दर रू0 150/- रूपये प्रति किलोग्राम के दर से निर्धारित विशिष्टताओं एवं गुणवत्ता के अनुरूप करेंगे तथा प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करावेंगे। जिला क्रय समिति के ततसंबंधी कार्यवाही की प्रति सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। किसी भी स्थिति में 24 घंटे के अन्दर पीड़ित परिवारों को पोलिथीन सीट्स उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में बताया गया कि पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान, अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान, क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी एवं घर के साथ संलग्न पशु-शेड का सर्वे कराकर 24 घंटे के अन्दर विहित प्रपत्र में सर्वेक्षण सूची तैयार कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पूर्णियाँ में उपलब्ध करायेंगे। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकान एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 95,100/- रूपये का मुआवजा भुगतान किया जाना है। जबकि 15 प्रतिशत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकानों के लिए 5,200/- रूपये प्रति मकान का मुआवजा दिया जाना है तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,200/- रूपये प्रति मकान का मुआवजा दिया जाना है। क्षतिग्रस्त/बर्वाद झोपड़ी के लिए 4,100/- रूपया तथा प्रति पशु शेड के लिए 2,100/- रूपया का भुगतान दिया जाना है। तदनुसार आवश्यक जाँचोपरान्त नियमानुसार पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को अनुमान्य सहाय्य के भुगतान की कार्रवाई संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में तत्परतापूर्वक करने का निदेश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उक्त चक्रवाती तुफान से प्रभावित परिवारों को 30 दिनों के लिए मुफ्त सहाय्य के रूप में 1 क्वींटल खाद्यान्न (50 किलोग्राम गेहूँ एवं 50 किलोग्राम चावल) के साथ साथ रू0 2,000/- रूपये नकद अनुदान प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जाना है। तत्संबंधी आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक -1/प्रा0आ0-36/2002/4155 दिनांक 18.09.2013 की प्रति सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी गई। तदनुसार आवश्यक जाँचोपरान्त नियमानुसार पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को अनुमान्य सहाय्य के भुगतान की कार्रवाई संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में तत्परतापूर्वक करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी खाद्यान्न की अधियाचना अंचल-वार करेंगे। अपर समाहर्त्ता यह सूनिश्चित करेंगे कि प्राप्त अधियाचना के अनुसार जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के स्तर से सहाय्य मद हेतु खाद्यान्न संबंधित अंचल अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय। तदनुसार आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में पीड़ित परिवारों को अनुमान्य सहाय्य मद का खाद्यान्न तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय प्रखंड/पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष कराने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ इसे सुनिश्चित करेंगें।

बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति को निदेश दिया गया कि हर-हालत में युद्ध स्तर पर पूर्णियाँ जिले में विद्युत व्यवस्था बहाल करना सुनिश्चित करेंगे। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन पूर्णियाँ इसका अनुश्रवण करेंगे।

बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त चक्रवाती तुफान में फसल क्षति का आकलन कर संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर सूचि उपलब्ध करावें तथा प्रभावित किसानों की सूचि निदेशानुसार वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि सलाहकार/एस0एम0एस0 को प्रतिनियुक्त कर देंगे। जिला उद्यान पदाधिकारी फलदार वृक्षों की क्षति का आकलन कर अंचलवार सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस चक्रवाती तुफान में मृत पशुओं का सर्वेक्षण कर संगत प्रमाण पत्र के साथ सूची 24 घंटे में उपलब्ध करावें।

निदेशित किया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में उक्त चक्रवाती तुफान से प्रभावित परिवार को चिन्हित कर निर्धारित मानक के अनुसार अनुमान्य सहाय्य का पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय प्रखंड/पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष वितरण करायेंगे। साथ ही सहाय्य प्रभावित परिवार/व्यक्तियों की सूची जिला के वेबसाईट (http://purnea.bih.nic.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि उक्त चक्रवाती तुफान के आलोक में जिलान्तर्गत आपदा की स्थिति के मद्देनजर कोई भी पदाधिकारी अगले आदेश तक अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। पूर्व से अवकाश पर रह रहे पदाधिकारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक-231/आ0प्र0, दिनांक-22/04/2015/

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ सिविल सर्जन, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।